



कार्यालय प्राचार्य
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुरुद
धमतरी, छत्तीसगढ़
पता:-चरमुड़िया रोड़,रेल्वे स्टेशन, कुरुद, जिला-धमतरी 493663
ई-मेल:- itikurud@rediffmail.com

डाक/ई-मेल



क्रमांक/औ.प्र.सं./कु./स्थाप./मे.प्र./2026/

1892

/कुरुद, दिनांक 14/10/2026

//विज्ञप्ति//

जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण सत्र 2026-27 के लिए व्यवसाय- मैकेनिक डीजल एवं मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल, के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु स्वीकृत पद के रिक्त पदों के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में दिनांक 16.10.2026 से दिनांक 30.10.2026 तक शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुरुद में आमंत्रित किये जा रहे है इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर या भारतीय डाक द्वारा जमा/प्रेषित कर सकते है।

02/- विज्ञापन विवरण जिला धमतरी की वेबसाइट एवं संस्था के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।


प्राचार्य/नोडल अधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुरुद

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुरूद, जिला धमतरी (छ.ग.)
पता:- चरमुड़िया रोड़, रेल्वे स्टेशन कुरूद के पास, कुरूद जिला-धमतरी 493663
ई मेल:- itikurud@rediffmail.com

क्रमांक/औ.प्र.सं./कु./स्थाप./मे.प्र./2026/

1747

कुरूद, दिनांक: 29/09 /2026

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

नोडल संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कुरूद जिला-धमतरी (छ.ग.) के अंतर्गत धमतरी जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों/विषयों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों (कार्यरत् नियमित प्रशिक्षण अधिकारी / संविदा प्रशिक्षण अधिकारी / मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) के विरुद्ध प्रशिक्षण सत्र 2026-27 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिए आवेदन दिनांक 16-10-2026 से दिनांक 30.10.2026 तक कार्यालयीन समय में संस्था में स्वयं उपस्थित होकर /भारतीय डाक द्वारा आवेदन पत्र प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुरूद, जिला धमतरी (छ०ग०) में जमा/प्रेषित किया जा सकता है।

1. पदों की जानकारी -

रिक्त पदों की जानकारी (कार्यरत् नियमित प्रशिक्षण अधिकारी / संविदा प्रशिक्षण अधिकारी / मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद)

क्रमांक	औ.प्र.सं. का नाम	व्यवसाय / विषय का नाम	कुल पदों की संख्या
1	2	3	4
1	औ.प्र.सं. मगरलोड	मैकेनिक डीजल	01
2	औ.प्र.सं. जी जामगांव	मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल	01
कुल			02

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता -

क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएं
1	मैकेनिक डीजल	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण। 3. हल्के मोटर यान (LMV) का वैध लाइसेंस अनिवार्य है।
2	मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद् से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र / B.VOC. / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि / पत्रोपाधि उत्तीर्ण / Relevant Advanced Diploma (Vocational) from DGT.
3. हल्के मोटर यान (LMV) का वैध लाइसेंस अनिवार्य है।

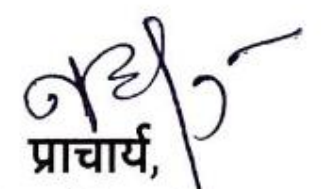
टीप:- शाखाओं की समतुल्यता/समकक्षता/प्रासंगिकता एवं शैक्षणिक अर्हता का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम "छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019" के अनुसार किया जावेगा।

3. चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदक आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें। निर्धारित प्रारूप में आवेदन नहीं होने पर निरस्त किया जा सकेगा।
2. नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा। भारतीय डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी एवं आवेदन निरस्त किया जावेगा।
3. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
4. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है उन पदों के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/डिप्लोमा / डिग्री) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।
5. मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।
6. मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोषप्रद नहीं होने अथवा आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य / संस्थाप्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
7. शासन द्वारा नियमित / स्थानांतरित / संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
8. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित / स्थानांतरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने पर उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं / व्यवसायों / विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जायेगा।
10. पृथक-पृथक संस्थाओं / व्यवसायों / विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन जमा करना अनिवार्य है।
11. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा ₹.140/- (रूपये एक सौ चालीस मात्र) की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है प्रति माह अधिकतम ₹.15000/- (रूपये

पन्द्रह हजार मात्र) मानदेय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।

12. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
13. पदों की संख्या आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोत्तरी अथवा समाप्त की जा सकेगी।
14. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जाकर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक-01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर दिया जायेगा।
15. आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार होना चाहिए।
16. स्वयं का फोटोग्राफ एवं वांछित प्रमाण पत्रों जैसे दसवीं की अंकसूची अथवा पुराना ग्यारहवीं की अंकसूची, तकनीकी योग्यता, ए.टी.आई./सी.टी.आई की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, की स्व-सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
17. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदकों को सूचना नहीं दी जाएगी।
18. आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय / विषय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
19. यदि किसी आवेदक के विरुद्ध अपराधिक अथवा दाण्डिक प्रकरण हो तो प्रकरण की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। चयन होने के उपरांत उक्त जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशिक्षण कार्य से पृथक कर आमंत्रण निरस्त कर दिया जायेगा।
20. ऐसे आवेदक जो केवल राज्य व्यवसायिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं, के आवेदन मान्य नहीं किये जायेगे।
21. यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय / विषय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र / राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र / इंजीनियरिंग में उपाधि / इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होंगे उसी प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।
22. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। चयनित आवेदक को दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाईल नम्बर सही एवं स्पष्ट भरें। दिए गए मोबाईल नम्बर पर संपर्क ना हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।


प्राचार्य,
शास० औद्योग० प्रशि० संस्था कुरुद
जिला-धमतरी (छ०ग०)

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम : _____
(जहाँ के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं)
2. व्यवसाय / विषय का नाम : _____

स्वयं द्वारा
सत्यापित
पासपोर्ट साइज़
फोटो

प्रति,

नोडल अधिकारी / प्राचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुरूद
जिला-धमतरी (छ.ग.)

1. आवेदक का नाम :- _____
2. पिता / पति का नाम :- _____
3. माता का नाम :- _____
4. जन्मतिथि (अंको में) :- _____ (शब्दों में) :- _____
5. अ) पत्राचार का पता :- _____
ब) दूरभाष / मोबाईल नम्बर :- _____
6. स्थायी पता :- _____

7. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / वि.वि. का नाम	व्यवसाय / विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1							
2							
3							
4							
5							

टीप :-

1. योग्यता से संबंधित सभी एवं अन्य प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर लगाये जावे।
2. प्रत्येक व्यवसाय / विषय के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जावे।
3. छत्तीसगढ़ का मूल निवास होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें।
4. यदि अभ्यर्थी का किसी भी अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता है तो उसकी जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में जानकारी आवेदन पत्र में नहीं दिये जाने पर एवं बाद में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, एवं मैं सहमत हूँ। जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम : _____

शपथ पत्र

1. मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर (छ०ग०) द्वारा सुनिश्चित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित / लागू मानदेय प्राप्त करूंगा / करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत की गई जानकारी एवं प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र सही है। यदि जानकारी अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं तो किये गये समस्त कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।
3. मेहमान प्रवक्ता का आमंत्रण आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र के लिए रहेगा तथा कभी नियमित / संविदा पद हेतु दावा नहीं करूंगा / करूंगी।
4. शासन द्वारा नियमित / स्थानांतरित / संविदा पदस्थापना किये जाने पर मेरी सेवाएँ (मेहमान प्रवक्ता) स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
5. मैं संस्था में प्राचार्य / अधीक्षक / संस्था प्रमुख या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी के निर्देशानुसार कार्य करूंगा / करूंगी। कोई अनुशासनहीनता / गलती मेरे द्वारा की जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक मुझे सुनवाई का मौका देते हुए यदि आवश्यक हुआ तो प्रशिक्षण कार्य से हटा सकेंगे तथा आमंत्रण निरस्त किया जा सकेगा।
6. मेरा / मेरी एक से अधिक संस्था / व्यवसाय / विषय में चयनित होने की स्थिति में एक ही संस्था / व्यवसाय / विषय में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाने के उपरांत दूसरे संस्था / व्यवसाय / विषय के लिए चयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।

संलग्न :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

दिनांक

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम :-

पता:-

मो. नं :-